

मूल वाद में फाइनल डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा (राज.)

हरिओम वर्ष आत्मज मुकुट बिहारी जी जाति मीणा निवासी ग्राम राजनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल निवासी ग्राम हालीहेडा तहसील केशोरायपाटन जिला बूंदी -वादी

बनाम 1.मुकुट बिहारी आत्मज स्व० रामनिवास जी जाति मीणा निवासी ग्राम राजनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2.श्रीमती राजेश कुमार पुत्री स्व० रामनिवास जी पत्नी लेखराज जी जाति मीणा निवासी ग्राम राजनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल निवासी ग्राम मण्डोला तहसील दीगोद जिला कोटा
3.श्रीमती मोहनी बाई बेवा स्व० रामनिवास जी जाति मीणा निवासी ग्राम राजनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा (नाम डिलीट किया गया)
4.स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

-प्रतिवादी

-:: वाद अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955:-

मुकद्मा नं. 74/2017 (दावा)

इस वाद में आज तारीख को वादी के वाद में फाइनल डिक्री जारी की जाती है कि वादी का वाद अस्वीकार योग्य होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है । वाद के खर्च लेखे ... X ...रुपये की राशि, आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर... X ...प्रतिषत प्रतिवर्ष की दर से व्याज सहित X ...द्वारा Xको दी जाए।

यह डिक्री आज तारीख 15 माह 05 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा
वाद

वाद के खर्च

वादी	रुपये	प्रतिवादी	रुपये
1. वादपत्र के लिये स्टाम्प		शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प	
2 शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प		अर्जी के लिये स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिये स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.....रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों केलिये निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			



उपखण्ड अधिकारी
कोटा